



2026:AHC:50787

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी याचिका सं - 728 / 2026

सुरेश एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अखिलेश पाण्डेय, मनोज कुमार गौतम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. आज दायर अनुपूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गौतम और राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर मुख्य राज्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"ए. न्यायालय एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जो प्रतिवादियों को प्रतिवादी सं. 2 को यह निर्देश जारी करने का निर्देश दे कि वह विलोपन आवेदन सं. निल/2025, फकीर चंद और अन्य बनाम मदन और अन्य, जिला मुरादाबाद, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10(2) के अंतर्गत लंबित है, का शीघ्र निर्णय करे।"

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सं.1 के पिता द्वारा याचिकाकर्ता सं.2 और 3 के साथ दायर की गई पुनर्विचार याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष 2000-01 से लंबित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनर्विचार में मदन, महेंद्र, हरगोविंद, घन- श्याम और उत्तर प्रदेश राज्य को विपक्षी बनाया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त पुनर्विचार के लंबित रहने के दौरान, विपक्षी सं.4-घन श्याम का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने के लिए एक आवेदन 8.9.2025 को इस आधार पर दायर किया गया है कि घन श्याम के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी 20.3.2010 को रद्द कर दी गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आवेदन दिनांक 8.9.2025 अभी भी उपरोक्त पुनर्विचार में राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, अतः राजस्व बोर्ड को विलोपन आवेदन दिनांक 8.9.2025 का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि विलोपन आवेदन पंजीकृत नहीं किया गया है, इस प्रकार उसके निस्तारण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनर्विचार पिछले 25 वर्षों से लंबित है, इस प्रकार लंबित पुनर्विचार के शीघ्र निस्तारण के लिए कानून के अनुसार कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

6. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर मुख्य राज्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनर्विचार प्रतिवादी सं.2-राजस्व बोर्ड के समक्ष 2000-01 से लंबित है।

8. न्याय के हित में आवश्यक है कि लंबित कार्यवाही का शीघ्र निर्णय किया जाए।

9. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रतिवादी सं.2-राजस्व बोर्ड को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह उपरोक्त पुनर्विचार का निर्णय कानून के अनुसार, पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, शीघ्रता से, अधिमानतः उसके समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर करे। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि पुनर्विचार में सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण राजस्व बोर्ड द्वारा कानून के अनुसार किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”